बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।

किसान भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत योजना अंतर्गत कुल 1.12 लाख किसानों को भारत सरकार द्वारा आयकर दाता होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है तथा कुल 1.45 लाख किसानों को भौतिक सत्यापन के क्रम में अन्य कारण कुल 2.47 लाख लाभार्थियों को अपात्र घोषित किया गया है।

सूचित किया जाता है कि अपात्र किसानों द्वारा कृषि निदेशक, बिहार, पटना के **बैंक खाता संख्या यथा 38269533475, 40903138323 एवं 40903140467** तथा **IFSC CODE-SBIN0006379** में योजना मद में प्राप्त कुल 10.41 करोड़ राशि को जमा कर दिया गया है। किन्तु राशि वापसी की सूचना से विभाग को अवगत नहीं कराया है।

अबतक किसानों द्वारा वापस की गयी राशि में से कुल 3 करोड़ की राशि का मिलान किया जा चुका है किन्तु शेष राशि का मिलान नहीं किया जा सका है। इसके लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर **पी0एम0–किसान राशि वापसी** मॉड्यूल विकसित किया गया है।

किसानों द्वारा DBT Portal (dbtagriculture.bihar.gov.in) के होम पेज पर प्रदर्शित **"पी0एम0–किसान राशि वापसी"** मेन्यू पर जाकर वापस किये गये राशि का विवरण (Transaction no./UTR NO., जमा तिथि, राशि वापसी का तरीका, वापसी का खाता, कुल किस्त, जमा किये गए राशि का साक्ष्य) दिनांक **30.09.2023** तक दर्ज एवं अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस कार्य में अपने सम्बन्धित पंचायत के कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से भी उक्त विवरण को दर्ज करा सकते है। यदि आप निर्धारित तिथि तक राशि वापसी की सूचना से विभाग को अवगत नहीं कराते है। आपके बैंक खाते से पुनः राशि बैंक द्वारा कटौती की जाती है तो आप स्वयं ही इसके जिम्मेवार होगें।

कृषि विभाग,
बिहार, पटना।